न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 1272–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–3–2012 पारित द्वारा कलेक्टर रीवा प्रकरण कमांक 61/अ–27/निगरानी/2009–10.

जगदीश सिंह तनय चन्दू सिंह गोड
निवासी ग्राम पिपराही तहसील हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

———आवेदक

विरूद्ध

बहादुर सिंह गोड़ तनय दशरथ सिंह गोड
निवासी ग्राम पिपराही तहसील हनुमना
जिला रीवा म0प्र0

———अनावेदक

– – – – – –

श्री एस0एन0 शुक्ला, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0एन0 पटेल, अभिभाषक, अनावेदक

– – – – – –

:: आदेश पारित ::
(दिनांक 27 फरवरी 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी कलेक्टर रीवा प्रकरण कमांक 61/अ–27/निगरानी/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 19–3–2012 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहित 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 5/अ–27/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 26–2–04 के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष इस आधार पर अपील पेश की

गई कि आवेदक के पिता चन्दु सिंह गोड की बटवारा में सहमति थी जबकि चन्दुसिंह का स्वर्गवास हो गया है, अतः उनके वारिस प्रकरण हितबद्ध पक्षकार है। अपर आयुक्त ने दिनांक 26–8–04 को आदेश पारित कर प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देकर प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर करें।

अपर आयुक्त के आदेश के पालन में दिनांक 6–2–08 को अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में सुनवाई प्रारंभ हुई। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा दिनांक 21–5–2009 को म्याद अधिनियम के आवेदन एवं शपथ पत्र के साथ वारिसान आवेदन पेश किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 8–4–2010 के द्वारा विलम्ब क्षमा करते हुये वारिसों को अभिलेख पर लेने का आदेश दिया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किये जाने पर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 19–3–12 के द्वारा निगरानी निरस्त की। कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क किया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–2–04 को अपील निरस्त कर दी गई उक्त आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में अपीलान्ट कमांक 1 जयलालसिंह की मृत्य दिनांक 28–2–04 को हो गयी तथा मो तिल्लउआ की मृत्यु 11–7–06 में हुई थी। अपील लम्बनकाल में ही मृत्यु हो गई थी जिसे छिपाकर रखा गया। जब अपर आयुक्त से अपील रिमाण्ड होकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पहुंचा तब आदेश 22 नियम 3 का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें विलम्ब का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब पर बिना विचार किये अनावेदक द्वारा जानबूझकर की

गई त्रुटि को स्वीकार कर वारिसों को रिकार्ड पर लेने में त्रुटि की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त किये जायें।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क दिया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को पक्षकारों की विधिवत सुनवाई का प्रकरण का गुण—दोष पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया था। काफी खोजबीन के बाद प्रकरण प्राप्त होने पर अनावेदक से पक्षकारों के संबंध में जानकारी चाही गई जिसमें मृतक पक्षकारों के वारिसों को पक्षकार बनाने का आवेदन पत्र मय म्याद आवेदन शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया गया, जिस पर उभय पक्ष के विधिवत तर्क सुनने के पश्चात अनुविभागीय अधिकारी ने वारिसान आवेदन स्वीकार किया। अनावेदक अभिभाषक द्वारा यह भी तर्क दिया कि मृतक व्यक्तियों के वारिसों को रिकार्ड पर लेने से आवेदक को क्या हानि हुई ऐसा कोई तथ्य निगरानी एवं तर्कों में नहीं बताया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नियमों के तहत कार्यवाही कर मृतक के वारिसों को पक्षकार संयोजन करने का आदेश दिया है, जिसे कलेक्टर द्वारा स्थिर रखा गया है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 26—8—2004 के पालन में कार्यवाही दिनांक 6—2—2008 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रारंभ हुई। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक द्वारा प्रस्तुत सिविल प्रकिया 1908 आदेश 22 नियम 3(1) एवं 4(1) तथा परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत प्रस्तुत धारा 5 का आवेदन एवं शपथ पत्र पेश कर मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर वारिसान आवेदन पेश किया। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 26—8—04 में उभय पक्ष को सुनवाई का

पर्याप्त अवसर देकर गुण—दोषों के आधार पर निराकरण हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर देने हेतु मृतक पक्षकारों के स्थान पर उनके वारिसों को रिकार्ड पर लेने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वारिसों को पक्षकार संयोजित किया गया जिससे आवेदक के हित की किस प्रकार क्षति हुई है यह स्पष्ट करने में आवेदक असफल रहे हैं। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा बटवारा प्रकरण में पक्षकारों के स्थान पर उनके वारिसों को रिकार्ड लेने के आदेश दिये है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुकूल है। कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के वैधानिक आदेश की पुष्टि करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में उभय पक्षो की सुनवाई के पश्चात प्रकरण का गुण—दोषों पर निराकरण होना है जहां आवेदक अपना पक्ष रख सकते हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 19—3—2012 स्थिर रखा जाता है।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर